Research Paper Education

Women Status In Urban Local Self-Government That Receives Reservation Under The 74Th Amendment: An Analysis On The Political Consciousness Of Elected Women Representatives In Urban Local Self-Government In Kurukshetra, Haryana

Diksha	Banasthali University & Tonk, Newai.
Dr. Rupali Bhouradia	Banasthali University & Tonk, Newai.
Anup Bhola	Banasthali University & Tonk, Newai.

ABSTRACT

भारत के संविधान निर्माताओं ने संसद में दिसम्बर 1992 में नगरीय स्थानीय स्वशासन से सम्बन्धित चोहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया जिसमे भारत के संविधान निर्माताओं ने लिंग भेद की समस्त परम्पराओं को दर किनार करते हुए 73वें, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आरक्षण प्रणाली लागू की। महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण के फलस्वरूप लगभग 15 लाख महिलाओं को ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ है ।

अतः प्रस्तुत अध्ययन मे आरक्षण मिलने के बाद वे महिलाओ की राजनीतिक कार्यों में सहभागी हुई हैं तो किस हद तक नगरपालिकाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सामाजिक, आर्थिक, व महिलाओं की राजनीतिक चेतना का विश्लेषण किया गया है। इन बातों को जानने के लिए हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले का चयन किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन हेतु अनुसूची प्रविधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि महिला उत्तरदाताओं का प्राचीन क्षेत्र में निदान अधिकांश का प्रशिक्षित या कम विकसित होना, जानकारी का स्तर निम्न या कम होने के कारण यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त की गई, ताकि उत्तरदाता में सापेक्ष समपर्क द्वारा सटीक, पूर्ण, प्रमाणिक एवं धान को आवश्यकतानुसार तथ्य प्राप्त किये जा सके।

परिचय

कुरूक्षेत्र जिले की नगरपालिका का

परिचय

प्रस्तुत अध्यन हरियाणा के कुरूक्षेत्र जिले को चुना गया है हरियाणा उत्तर भारत का एक प्रांत है जिसे पंजाब से 1966 में अलग किया गया था। इसकी सीमायें उत्तर में पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम तथा दक्षिण में राजस्थान से, एवं पूर्व में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी से बंधी है। भारतीय राजधानी दिल्ली के तीन तरफ भी हरियाणा की सीमायें लगी हैं जिसकी वजह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा में शामिल है।

कुरुक्षेत्र जिले को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 1 नगर परिषद् (थानेसर) तथा 3 नगरपालिकाओं क्रमशः पिहोवा, शाहबाद मारकण्डा, लाड़वा में बाँटा गया है। नगर परिषद (थानेसर) में 31 वार्ड, नगरपालिका पिहोवा में 19 वार्ड, शाहबाद मारकण्डा में 17 वार्ड तथा लाड़वा में 15 वार्ड है। इस प्रकार कुल वार्डों की संख्या 82 हैं । जिन्हे इस प्रकार सारणी में दर्शाया गया है और इन वार्डों में निर्वाचित महिला व पुरूष के अनुपात को दर्शाया गया है ।

1	पिहोवा में निर्वाचित प्रतिनिधि	पुरुष	(12)
		महिला	(07)
2	शाहबाद मारकण्डा में निर्वाचित प्रतिनिधि	पुरुष	(10)
		महिला	(07)
3	लाड़वा में निर्वाचित प्रतिनिधि	पुरुष	(09)
		महिला	(06)
4	थानेसर में निर्वाचित प्रतिनिधि	पुरुष	(20)
		महिला	(11)

सविचार या उद्देश्यपूर्ण पद्धति के माध्यम से तथ्यों के संकलन के लिए समस्त निर्वाचित महिला सदस्यों को लिया है।

2 तथ्य संकलन पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन की आनुभाविक प्रवृत्ति के कारण तथ्यों ने प्रारम्भिक स्रोत का सर्वोत्तम माध्यम साक्षात्कार अर्थात् क्षेत्र में जाकर स्वयं आंकड़े एकत्र करना है जिसमें अनोपचारिक वार्तालप भी शामिल है, को अपनाया गया है। यह एक प्रेरणात्मक प्रविधि है। जिसके द्वारा घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। पी.वी. मोजर ने Survery Methods in Social Invetigaters में लिखा है– सर्वेक्षण साक्षात्कार साक्षात्कारकर्ता एवं उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है, जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से सूचना प्राप्त करना होता हैं साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक विश्वसनीय मानी जाती है क्योंकि सूचना संग्रह स्वयं साक्षात्कारकर्ता द्वारा किया जाता हैं साथ ही स्वयं क्षेत्र में होन के कारण उत्तरदाता को प्रश्न समझाने व पूर्ण एवं सही उत्तर प्राप्त रकने में भी सुविधा होती है अतः इसका प्रयोग किया गया है।

तथ्य संकलन हेतु अनुसूची का प्रयोग किया गया है। अनुसूची को परिभाषित करते हुए गुडे एवं हैट ने Methods in Social Research में लिखा है– ''सूची उन प्रश्नों के एक समूह क नाम जो उत्तरदाताओं द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के आमने–सामने की स्थिति में पूछे ओर भरे जाते है।

तथ्य का प्रकार एवं स्त्रोत

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही प्रकार के स्त्रोतों के आधार पर तथ्य एकत्रित किए गए हैं।

1. प्राथमिक तथ्य– शोधकर्ता द्वारा स्वयं क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से समग्र समूह से साक्षात्कार द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया।
2. द्वितीयक तथ्य– इनका संकलन सरकारी रिर्पोट, विषय से संबंधित पुस्तकों एवं शोध – आलेखों, पत्र – पत्रिकाओं, जो कि प्रकाशित – अप्रकाशित दानों प्रकार के हैं, द्वारा किया गया हैं।

3 महिलाओ उत्तरदाताओं का सामाजिक वं आर्थिक परिचय

भारत एक विविधतापूर्ण संस्कृति से परिपूर्ण एक समृद्ध देश है। यह विविधता क्षेतीजीय आधार पर शहरों से गाँवों तथा कस्बों तक दिखायी देती है। भारत के समान हरियाणा एवं कुरूक्षेत्र में भी यहीं विविधता परिलिक्षित होती है। यहाँ जाति, धर्म, विचारधारा, लिंग एवं असमान आर्थिक स्थिति के लोग निवास करते है। क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक पृष्टभूमि व्यक्ति की प्रकृति, व्यवहार, विचार, मूल्यों, राजनीतिक जागरूकता एवं चेतनता तथा राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक सामाजिकरण को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में उत्तरदाता की पृष्टभूमि का विश्लेषण विशेष महत्व रखता है।

सामाजिक आनुभाविक अध्ययन के लिए यह जरूरी है कि उत्तरदाता का परिचय किया जाए क्योंकि जिन व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उनका परिचय देना आवयश्क होता है। कोई भी शोध कार्य बिना उत्तरदाता के संभव नहीं है क्योंकि उत्तरदाता ही शोध कार्य की आधार शिला होता है।

उत्तरदाता किसी भी शोध कार्य की रीढ होता है तथा उसकी प्रकृति पर ही शोध की अभिव्यक्ति एक निष्कर्ष परिणीति निर्भर करती है। उत्तरदाताओं की अभिव्यक्ति ही शोध निष्कर्ष का आधार बनती है। इसलिए उत्तरदाता का परिचय शोधकार्य में आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाता कुरुक्षेत्र जिले की नगपालिकाओ की महिला सदस्य है, जो जिले की राजनीतिक अभिजन है। इस रूची, रूझान तथा चेतनता का विश्लेषण करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः शोधकार्य में उत्तदाता का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि

इसके आधार पर ही शोध कार्य को सरलता से समझा जा सकता है।

अतः प्रस्तुत अधयन मे महिला उत्तरदाताओं का सामाजिक वं आर्थिक परिचय हेतु निम्नलिखित तालिका 1 एवे 2 मे दिये गये प्रश्न पूछे गये है।

प्रश्नावली 1
व्यक्तिगत जानकारी सम्बधी प्रश्न

1	नाम
2	जन्म स्थान
3	आयु
4	शैक्षिक स्तर
5	वैवाहिक स्थिति
6	परिवार का स्वरुप
7	जाति वर्ग
8	आथिक स्थिति
9	परिवार का व्यवसाय
10	वर्तमान पद
11	वार्ड का नाम
12	धर्म
4	यदि आपको पारिवार के सदस्यो द्वारा लिया गया निर्णय पंसद नही आए
5	नगपालिका चुनाव कितने समय बाद होते है
6	आपको राजनीतिक घ्टनाओ की जानकारी किन माध्यामो से प्राप्त होती है
7	क्या आपको देश/प्रदेश के शीर्ष नेताओ की जानकारी है
8	क्या आपको निर्वाचन के पश्चात प्रशिक्षण प्रदान किया गया ?
9	कुरुक्षेत्र जिले मे कितनी नगरपालिका है
10	74वें सविधान मे सशोंधन के तेहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है
11	क्या आप अपने समूह मित्रों से राजनिति विषयों पर चर्चा करती है।
12	चुनाव व्यवस्था में कमियो के सन्दर्भ में कुछ विचार है
13	क्या आपको पारिवार आपके परिवार द्वारा राजनीतिक जानकारी मिलती है

4 निष्कर्षतः
प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाता जो अध्ययन की रीड़ होती है के रूप में कुरुक्षेत्र जिले की नगरपालिका में महिला सदस्यों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी राजनीति में रुचि एवं राजनीति के प्रति उनकी चेतनता तथा जागरुकता को जानने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत जानकारी सम्बधी प्रश्नो से य से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में सभी आयु वर्ग के उत्तरदाता को शमिल है लेकिन अधिकांश प्रतिशत 45 से 55 वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्तरदाताओं का है। इसका कारण यह है कि यहां गतिविधियों के चयन का आधार उनके अनुभव को माना गया है। अतः अधिक उम्र की महिलाएं अधिकतम संख्या में नगर पार्षद पद पर आ रही हैं ।

अध्ययन मे व्यक्तिगत जानकारी सम्बधी प्रश्न प्रश्नावली द्वारा किये गये महिला सदस्यों के साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में जिला संरचना का स्वरूप बदल गया है। वह स्वयंसिद्ध तथ्य है कि नगरपालिका में आरक्षण के कारण प्रत्यक वर्ग की महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही हैं साथ ही सहभागिता का आधार भी व्यापक हो रहा है। इस भागीदारी में महिला प्रतिनिधियों की आयु भी महत्वपूर्ण कारक है कि किस उम्र की महिलाएं अधिक आती है। वही 55 से अधिक आयु के महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत अधिक रहा है अतः अधिक उम्र की महिलाएं अधिकतम संख्या में नगर पार्षद पद पर आ रही हैं जाति के आधार पर अनुसूचित, पिछड रहा वर्ग के तुलना मे सामान्य वर्ग का प्रतिशत अधिक रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में उच्च स्थान रखने वाली जाति वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का राजनितिक मे भागीदरी का स्तर अधिक है। फिर भी आरक्षित स्थानो के अतिरिक्त उनकी भूमिका नगण्य है।

धर्म के आधर पर समाज मे हिन्दु धर्म को मानने वालो की संखया मुस्लिम व जैन धर्म से अधिक है। जो उनकी जनसंख्या के अनुरूप है।

शैक्षणिक आधार पर शहरी जनता ने उच्च शिक्षा प्राप्त व्यकितयो को अपना प्रतिनिधि अधिक बनाया है। साथ ही राजनीति में भी उच्च शिक्षा प्राप्त व्यकित ही सफल रहे है जो उनकी राजनीतिक जानकारी एवं जागरूकता मे शिक्ष की भूमिका एवं महम्व को उजगार करता है।

पर महिलाओ की सकियता एवं भागीदरी जिस प्रकार से होनी चाहिए थी उस प्रकार से नही हो रही है। इसका प्रमुख कारण है कि महिलाआ को संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारो की जानकारी नही है। उनमें से अधिकांश महिलाओ ने परिवार वालों या पति द्वारा विवश करने पर चुनाव में भाग लिया है। निर्वाचित महिला उत्तरदाताओं से मोलिक सेवाओं तथा प्रशासनिक क्षमताओं के बारे मे चर्चा करने पर यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधिकांश उत्तरदाताओं अनुभव की कमी हैं तथा उन्हे नगरपालिका के परिषद की उपाधियो एवं प्रशानिक प्रकियाओ का ज्ञान बहुत कम है। अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश महिलाओ नगरपालिका के कार्य करने मे अपने परिवार का सहयोग लेना पडता है और जिन महिला उत्तरदाताओं के परिवार को नगरपालिका के प्रशानिक प्रकिओ की जानकारी नही रहती उनको चालक व भ्रष्ट कर्मचारी उन्हे भ्रमित करते रहते हैं तथा जनसामन्य के कार्यो के निस्तारण में बधायें खडी करते है। यह पाया गया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि प्रशासनिक अनुभव व नियमो के अभाव के कारण प्रशासन सही ढग नही चला पा रहे और सही ढग जनता की अपेक्षाओं का समाधान नही कर पा रहे है।

अतः हम कह सकते है कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण तो प्राप्त हो गया है और महिलाओं की नगर निगम, नगरपालिका एवं नगरपंचायत मे महिलाओं की भागीदारी का अवसर तो प्राप्त हुआ है लेकिन आज भी वे अपने अधिकारो का सही ढग से उपयोग नही की पा रही है प्रशानिक प्रकिओ मे पूर्ण सहयोग नही दे पा रही है।

उपर्युक्त स्थिति में राज्य शासन द्वारा निम्न सुधार हाने आवश्यक है।

1 आधिकारों एवं कर्तव्यो के बारे मे जागरूकता
निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्वाचन के पश्चात गहन प्रशासिनक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हे आधिकारों एवं कर्तव्यो के बारे मे जागरूक बनाने की आवश्यकता होनी चाहिएं।

2 प्रशिक्षण
महिला प्रतिनिधिओ मे राजनितिक चेतना का स्तर बढाने एवं राजनितिक जागरूकता के लिये प्रशासन द्वारा प्रशासिनक प्रशिक्षण के साथ ही राजनितिक प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।

3 भ्रष्ट एवं अपराधी तत्वो का प्रवेश पर प्रतिबन्ध
राजनिति मे भ्रष्ट एवं अपराधी कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढावा देते है। इसलिये जनप्रितिनिधियों के निर्वाचन मे अपराधी तत्वो का प्रवेश के उपाय होना चाहिए।

4 महिलाओं को आरक्षण मे वद्धि
जब आज के वैज्ञनिक एवं आधुनिकता के युग मे महिला और पुरूष को समान कहा जाता है और महिलाओं को केवल 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है। समाज की प्रगित और विकास के लिये महिलाओ और पुरूषो की शासन एवं प्रशासन मे समान भागीदारी होनी चाहिए। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि महिलाओं के लिये 33 प्रतिशत आरक्षण की जगह 50 प्रतिशत आरक्षण होना चहिए।

REFERENCES

• अग्रवाल, प्रमोद कुमार, ''भारत में पंचायती राज'', ज्ञान गंगा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003 । • अनिता, ''पंचायतीराज प्रशिक्षण संदर्भ सामग्री'', इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर, 2005 । • गोयल डा. सुनील, गोयल श्रीमति संगीता, ''भारतीय समाज में नारी'', आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003 । • जैन, राशि, ''नगरीय समाज शस्त्र'', रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2001 । • जैन, डॉ. राजकिरण, ''महिलाओं में राजनीतिक सहमागिता एक अध्ययन'', नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर, 2012 । • कुमार धर्मेन्द्र ''समाजशास्त्र,'' टाटा मैक्ग्राहिल्य, 2011 । • सुराणा, जैन, राजकुमारी, ''भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायतीराज'', राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, 2000 । • शर्मा, अशोक, ''भारत में स्थानीय प्रशासन'', आर.बी.एस.ए पब्लिशर्स, जयपुर,2005 । • शर्मा, प्रज्ञा, ''महिला विकास और सशक्तिकरण'', आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर,2001 । • शर्मा, प्रज्ञा, ''भारतीय समाज में नारी'', पोईन्टर पब्लिशर्स, जयपुर,2001 । • शक्तावत, डा. गायत्री, ''महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता व पचॉयती राज व्यवस्था एक अवधारणात्मक विवेचना'', नवजीवन पब्लिकेशन, जयपुर ,2011 । • तिवाड़ी, रघुनाथ प्रसाद, चौधरी रामलाल, चौधरी कंचनसिंह, ''राजस्थान में पंचायत कानून'', ऋचा प्रकाशन, जयपुर, 2005 । • वाघवा, शालिनी, ''भारतीय स्थानीय प्रशासन'', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2003 । • व्होरा, आशारानी, ''औरत कल, आज और कल'', कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, 2005 । • बॉड, आई. एस. ए., विट जे डी, विजनेन्डस विट जूप ''न्यू फॉर्म्स ऑफ अरबन गवर्नेन्स इन इण्डिया'', सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2009. । • चावला, भगतजीत सिंह, ''द हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट, 1973'', चावला पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, चण्डीगढ़, 2005. । • ढ ाालीवाल, एस. एस., ''म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन'', दीप एण्ड दीप, नई दिल्ली, 2006. । • लोकार्ड, डी., ''द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट एण्ड लोकल गवर्नमेंट''.(सैकण्ड एडिशन) मैकमिलन, 1969ण । • ऊमन, एम. ए., ''फिस्कल डीसैन्ट्रेलाइजेशन टू लोकल गवर्नमेंट इन इण्डिया'', कैम्ब्रिज स्कॉलर पब्लिशिंग यू.के., 2008. । • पट्टनायक, आर., ''लोकल गर्वन्मेट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म'', अनमोल पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 2002. । • प्रसाद, आर. एन., ''अरबन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इण्डिया'', मित्तल पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली, 2007. । • राव, पी. एस. एन., ''अरबन गर्वन्मेट एण्ड हेंगेमोंटः इण्डिया इनिशिऐटिक्स'', कनिष्का पब्लिशर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरस्, 2005. । • शर्मा, मनोल,''लोकल गवर्नमेंटः रूरल एण्ड अरबन'', अनमोल पब्लिकेशन्स, प्राइवेट. नई दिल्ली, 2004. । • स्टीवर्ट, जॉन,''द न्यू मैनेजमेन्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट स्टडीज'', एलेन्स अनविन लिमिटेड लदंन, 1986. । • शर्मा, के. प्रदीप, ''लोकल गवर्नेन्स इन इण्डिया'', ऑक्सफोर्ड यूनिर्वसिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2006. । • स्टेन्स, जोफरी, ''अण्डरस्टेन्डिंग लोकल गवर्नमेंट फोन्टाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन'', ग्रेट ब्रिटेन. । • सचदेवा, प्रदीप, ''अरबन लोकल गवर्नमेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया'', किताब महल, इलाहाबाद, 1993. । । । जरनल एवें पत्रिका । • आनंद, निर्मल कुमार, पंचायतीराज सस्थाओं में । महिलायें, कुरूक्षेत्र,नई दिल्ली, मई,2007 । • कटारिया, सुरेन्द्र, महात्मा गॉधी की पचायतीराज, । कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त,2006 । • कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, दिस्मबर,1994 । • कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली, अगस्त,2006 । • रस्तोगी, अलका, महिला सशक्तिकरण; प्रयास और । लक्ष्य, कुरूक्षेत्र, मार्च 2005, नई दिल्ली । • महोपात्रा, विष्णु प्रसाद, लोकल सेल्फ गवर्निंग । इंस्टीट्यूशन इन इण्डिया एण्ड फिस्कल डीसेन्ट्रेलाइजेशनः इश्यू, चैलेन्जेज एण्ड पॉलिसी प्रिसकिप्शनस : आईओएसआर जरनल ऑफ ह्यूमेनिटिज एण्ड सोशल साइंस (जेएचएसएस), आईएसएसएनः 2279–0837, आईएसबीएनः 2279–0845. वॉल्यूम 1, इश्यू 6, 2012 । • रंजन, संजीव, रोल ऑफ इनफोरमेशन सिस्टम इन अरबन लोकल सेल्फ गवर्नमेंटः ज्ञान ज्योति ई जरनल, वॉल्यूम 1, इश्यू 2, आईएसएसएन 2250–348 एक्स, 2012 । • सचदेवा, प्रदीप अरबन लोकल गवर्नमेंट एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, इलाहाबाद, किताब महल, 1993 ।